पत्रांक / 3796 / आयु0क0उत्तरा0 / विधि–अनुभाग / 2012–13 / वाणि0कर / दे0दून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
देहरादूनः: दिनांकः07 दिसम्बर 2012

विज्ञप्ति / अधिसूचना

उत्तराखण्ड केन्द्रीय विक्रय कर नियम–2005 के नियम–8 के उपनियम (23) में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए कर–निर्धारण अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को कोरे (Blank) फार्म–सी, फार्म–एफ एवं फार्म–एच जारी किए जाने की वर्तमान व्यवस्था को प्रभावी दिनांक 10–12–2012 से समाप्त करते हुए भरे (filled) फार्म जारी किए जाने की निम्न व्यवस्था लागू की जाती है :–

1– व्यापारी द्वारा इस तिथि के उपरान्त जो भी सावधिक विवरणी दाखिल की जाएंगी यदि उनमें वे खरीद / प्राप्ति भी शामिल है जिनके लिये व्यापारियों को फार्म–सी / एफ / एच जारी किये जाने हैं, के सम्बन्ध में उपाबन्ध (Annexure) 17(सी), 17(एफ) अथवा 17(एच) (संलग्न) प्रारूप में कर–निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाऐगें।

2– उक्त तिथि से पूर्व जिन अवधियों के लिये पूर्व में सावधिक विवरणी दाखिल की जा चुकी है तथा उनसे सम्बन्धित किसी खरीद / प्राप्ति हेतु फार्म–सी / एफ / एच व्यापारी को कार्यालय से प्राप्त करनें हैं, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा निम्न प्रकार विवरण प्रस्तुत किया जाएगा :–

(क) फार्म–सी जारी किये जाने हेतु उपाबन्ध (Annexure) 17(सी) में विक्रेता व्यापारीवार त्रैमासिक विवरण कर–निर्धारण अधिकारी के समक्ष (तीन प्रतियों में हस्ताक्षरित) प्रस्तुत करेंगें।

(ख) फार्म–एफ जारी किये जाने हेतु उपाबन्ध (Annexure) 17(एफ) में व्यापारीवार मासिक विवरण कर–निर्धारण अधिकारी के समक्ष (तीन प्रतियों में हस्ताक्षरित) प्रस्तुत करेंगें।

(ग) फार्म–एच जारी किये जाने हेतु उपाबन्ध (Annexure) 17(एच) में व्यापारीवार वर्षवार विवरण कर–निर्धारण अधिकारी के समक्ष (तीन प्रतियों में हस्ताक्षरित) प्रस्तुत करेंगें।

3– कर–निर्धारण अधिकारी उक्त विवरणों के अनुसार फार्म जारी किए जाने के आदेश करेंगें।

4– तत्पश्चात सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा फार्म तैयार किए जाएगें। इस प्रक्रिया में :–

(क) Annexure 17(सी), 17(एफ) अथवा 17(एच) (जो लागू हों) की एक–एक प्रति सम्बन्धित फार्म के पृष्ठ भाग में चस्पा की जाएगी तथा तीसरी प्रति पत्रावली पर रखी जाएगी। तीनों प्रतियों पर कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर कर पूरा नाम लिखा जाएगा।

(ख) उक्त Annexure से सम्बन्धित फार्म में जिस व्यापारी को फार्म प्रेषित किया जाना है, उसका नाम, कर–निर्धारण वर्ष व धनराशि का योग (अंकों व शब्दों में) का इन्द्राज फार्म में यथा स्थान किया जाएगा।

(ग) Annexure की तीसरी प्रति पर जारी किए गए फार्म संख्या लिखी जाएगी।

5– कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस प्रकार तैयार किए गये फार्म में फार्म की धनराशि व Annexure की तीनों प्रतियों में फार्म की धनराशि को गोलांकित कर हस्ताक्षर करेंगें व नाम की मोहर लगवाएगें। साथ ही फार्म चस्पा वाले स्थान पर इस प्रकार हस्ताक्षर करेंगें की हस्ताक्षर का आधा भाग Annexure पर तथा आधा भाग फार्म पर आ जाए ।

others

7197 05/12/12

आवश्यक कार्यवाही हेतु

जॉइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर,देहरादून सम्भाग, देहरादून

6— उक्त प्रकार तैयार फार्म व्यापारियों को प्राप्त कराए जाएगें।

7— यदि कोई सम्व्यवहार इस प्रकार है कि विक्रेता/प्रेषक द्वारा माल किसी अवधि में प्रस्तुत किये गये है तथा, व्यवहारी को यह माल अगली अवधि में प्राप्त हुए हैं ऐसे में व्यवहारी द्वारा मांगे जाने पर दोनों सम्व्यवहारों के लिये अलग अलग फार्म जारी किये जा सकते हैं। किन्तु ऐसे मामलों में निर्धारित उपाबन्धों में विवरण भी अलग अलग प्राप्त करने होंगें।

8— यदि किसी मामले में ब्यौहारी द्वारा उक्त रीति से उपाबन्ध 17(सी), 17(एफ) अथवा 17(एच) (जो लागू हो) प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो ऐसे मामलों में फार्म—सी/एफ/एच (जो लागू हो) जारी नहीं किए जायेंगें।

(सौजन्या)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 /दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव,वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. महालेखाकार,उत्तराखंड वैभव पैलेस इन्द्रानगर,देहरादून।
3. एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,गढ़वाल जोन देहरादून/कुमायूँ जोन,रूद्रपुर।
4. एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर,मुख्यालय देहरादून।
5. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनो के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर,देहरादून/हल्द्वानी।
7. ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर,हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)—3, वाणिज्य कर, देहरादून एवं Web-information officer को NIC एवं विभागीय website पर update करने हेतु।
9. आई0टी0 अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई—मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
10. इन्टावैट ईन्फो प्रा0लि0 4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13,आर0सिधुआ मार्ग मुम्बई—400001।
11. नेशनल लॉ हाउस बी—2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड,गाजियाबाद।
12. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस—15/5 राजनगर गाजियाबाद।
13. डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्याय0कार्य0)वाणिज्य कर,नैनीताल।
14. स्वास्तिक पब्लिकेशन एसई—233,शास्त्री नगर,गाजियाबाद,—201002
15 लॉ बुक ट्रेडर्स 10 नगर निगम कम्पाउण्ड केसर गंज रोड,मेरठ ।
16. अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवालाऔद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
17. प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय क्वालिटी हार्डवेयर गॉधी रोड,देहरादून।
18. दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल नागलिया आटोमो0 त्यागी देहरादून।
19. प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग ब्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड प्रदेश कार्यालय दीवान ट्रेडिंग कम्पनी, 81, मोती बाजार, देहरादून।
20. दी होलसेल डीलर्स एसो0 14,आढ़त बाजार देहरादून।
21 प्रांतीय इण्डस्ट्रीज एसों0 222/5 गॉधी ग्राम,देहरादून।
22. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
23. विधि—अनुभाग/सुख साधन—कर की गार्ड फाइल हेतु।
24. शोध—अनुभाग/स्थापना अनुभाग मुख्यालय हेतु।
25 .मुख्यालय के समस्त अनुभाग।

अपर आयुक्त, वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।

others

उपाबन्ध 17(सी)
प्ररूप 3(संशोधित–1) का
(उत्तराखण्ड केन्द्रीय विक्रय कर नियम, 2006 का नियम 8 देखें)

1– ब्यौहारी का टिन | | | | | | | | | | | |

2– ब्यौहारी का नाम तथा पता

3– अवधि.. से ....

4– फार्म 'सी' के विरूद्ध अन्तर्राज्यीय खरीद की सूची

क्र0 सं0	विक्रेता ब्यौहारी का नाम तथा पता	ओरिजिनेटिंग राज्य	विक्रेता ब्यौहारी का टिन	बीजक सं0	बीजक की तारीख	क्रय मूल्य (कर से पूर्व)	माल का विवरण
1							
	ब्यौहारी सं0 1 का योग						
2							
	ब्यौहारी सं0 2 का योग						
	ब्यौहारी सं0 1+ 2 + 3......... का सकल योग						

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर
प्रास्थिति–

उपाबन्ध 17(एफ)
प्ररूप 3(संशोधित–1) का
(उत्तराखण्ड केन्द्रीय विक्रय कर नियम, 2006 का नियम 8 देखें)

1– ब्यौहारी का टिन

2– ब्यौहारी का नाम तथा पता

3– अवधि.. से ....

4– अन्तर्राज्यीय परेषण–अन्तर्गामी/स्टाक अन्तरण–अन्तर्गामी फार्म 'एफ' के विरूद्ध की सूची

क्र0 सं0	परेषणकर्ता का नाम तथा पता	ओरिजिनेटिंग राज्य	परेषणकर्ता का टिन	बीजक/चालान सं0	बीजक/चालान तारीख	मूल्य	माल का विवरण
1							
	परेषणकर्ता सं0 1 का योग						

2							
	परेषणकर्ता सं0 2 का योग						

	परेषणकर्ता सं0 1+2+3........ का सकल योग		

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर
प्रास्थिति–

उपाबन्ध 17(एच)
प्ररूप 3(संशोधित–1) का
(उत्तराखण्ड केन्द्रीय विक्रय कर नियम, 2006 का नियम 8 देखें)

1– ब्यौहारी का टिन [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

2– ब्यौहारी का नाम तथा पता

3– अवधि.. से ....

4– फार्म 'एच' के विरूद्ध अन्तर्राज्यीय खरीद की सूची

क्र0 सं0	विक्रेता ब्यौहारी का नाम तथा पता	ओरिजिनेटिंग राज्य	विक्रेता ब्यौहारी का टिन	बीजक सं0	बीजक की तारीख	क्रय-मूल्य (कर से पूर्व)	माल का विवरण
1							
					ब्यौहारी सं0 1 का योग		
2							
					ब्यौहारी सं0 2 का योग		
					ब्यौहारी सं0 1+2+3......... का सकल योग		

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर
प्रास्थिति–